भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5513

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस में अनाज वितरण

5513. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्यतः अनाज के वितरण पर केंद्रित है तथा प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता जैसे पोषण संबंधी पहलुओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेपों के बावजूद कुपोषण तथा आहार-संबंधी रोगों में वृद्धि के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दालों, श्री अन्न तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए विविधता लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) कैलोरी-आधारित खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण से पोषण-संवेदनशील सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार द्वारा चिह्नित पात्र लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो। वर्तमान में, इस अधिनियम के अंतर्गत अनाज की और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेटस (श्रीअन्न) खरीदने और स्थानीय खपत वरीयता के अनुसार तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करने की परामर्शिका जारी की गई है।

...2/-

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से संवर्धित (फोर्टिफाइड) चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर संवर्धित (फोर्टिफाइड) चावल उपलब्ध कराना है।

पोषण का अर्थ केवल भोजन करना ही नहीं है; इसके लिए पोषक तत्वों का उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित होती है। कुपोषण से निपटने के लिए भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से और समग्र रूप से समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जा रहा है।

कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की) के लिए योजना को अम्बरेला मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया था। पुराने मानदंड मुख्य रूप से कैलोरी-विशिष्ट थे; हालांकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार, गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने दिनांक 12 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम 2022 जारी किए, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रसव के बाद छह महीने तक और छह महीने से छह साल की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके।

आहार में विविधता लाने और पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसीएस) में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। पोषण वाटिकाएं विभिन्न सर्वेक्षणों में बार-बार सामने आई आहार विविधता की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये वर्ष भर विभिन्न प्रकार के फल, मेवे, जड़ी-बूटियां, औषधीय पौधे और सब्जियां उपलब्ध कराती हैं। पोषण वाटिका की अवधारणा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को अपने घरों के पीछे आंगन में स्थानीय खाद्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

...3/-

इस मिशन के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक है सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता अभियान, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि अच्छे पोषण की आदत अपनाने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं। सामुदायिक कार्यक्रम (सीबीईएस) पोषण संबंधी प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में काम करते हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस) को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से फरवरी 2026 तक कुल 9.8 करोड़ सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और वर्ष 2018 से 15 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसीएस), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस) और लाभार्थियों की परिभाषित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनापन, कुपोषण और कम वजन की व्यापकता की गतिशील पहचान के लिए किया जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) गतिविधियाँ, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम)/घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) उपलब्ध कराना, वृद्धि मापन आदि के लिए लगभग वास्तविक समय में डाटा संग्रह संभव हो गया है। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन यहां उपलब्ध है: https://www.poshantracker.in

सेवा वितरण की अंतिम चरण की ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि घर ले जाने वाले राशन के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही मिले।

पोषण ट्रैकर में नामांकित मॉड्यूल को इसलिए शुरू किया गया है ताकि लाभार्थियों - गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों - को घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए किसी नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकती है।
